संख्या-07/2018/382जेएल/22-3-18-800(3)/2017

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
आगरा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2018***

विषय- जिला कारागार, आगरा के बंदी रवि खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश, निवासी-न्यू शाहगंज, थाना-शाहगंज, जनपद-आगरा, हाल पता-102, नटराज पुरम, कमलानगर, थाना-न्यू आगरा, जनपद-आगरा को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आगरा के बंदी रवि खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश, निवासी-न्यू शाहगंज, थाना-शाहगंज, जनपद-आगरा, हाल पता-102, नटराज पुरम, कमलानगर, थाना-न्यू आगरा, जनपद-आगरा को शासनादेश संख्या-03/2018/117जेएल/22-3-18-800(3)/2018, दिनांक 05-02-2018 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-07/2018/382जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in